



पत्रांक- मा-सता/370

दिनांक 21/2/19

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बालयाला, ऋषिकेश जिला देहरादून इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

इस कालेज/संस्थान में सत्र 2017-18 के निर्यातानुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं तथा सत्र 2018-19 एवं सत्र 2019-20 के सम्बन्ध में विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

क्र.सं०	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट	सम्बद्धता की स्थिति
1	बी०बी०ए०	60	1.7.2002 से 30.6.2018
2	बी०एस--सी० (आई०टी०)	60	1.7.2002 से 30.6.2018
3	बी०एस--सी०कम्प्यूटर साइंस	80	1.7.2002 से 30.6.2018
4	एम०एस--सी० (आई०टी०)	40	1.7.2002 से 30.6.2018
5	एम०एस--सी०वायोटेक्नोलॉजी	25	1.7.2003 से 30.6.2018
6	एम०एस--सी०माइक्रोमाइक्रोबायोलॉजी	20	1.7.2004 से 30.6.2018
7	एम०एस--सी० बायोकेमिस्ट्री	20	1.7.2004 से 30.6.2018
8	बी०एस/बी०सी०(रसायन विज्ञान, अणु विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान) माइक्रोबायोलॉजी में डिप्लोमा	60	1.7.2005 से 30.6.2018
9	एम०एस--सी० रसायन विज्ञान	30	1.7.2016 से 30.6.2018
10	बी०का०	60	1.7.2016 से 30.6.2018
11	बी०ए०ड०	100	1.7.2005 से 30.6.2018
12	एम०ए०ड०	50	1.7.2008 से 30.6.2018

*(Handwritten signature)*  
17/2/20

डॉ०(ए० के० झा)  
कुलसचिव

**DIRECTOR**  
Modern Institute of Technology  
Rishikesh (Uttarakhand)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170  
फैक्स (01346)-252174, 252247  
वेबसाइट-Website www.hnbg.ac.in

पत्रांक-मान्यता/6654

दिनांक. 06/10/17

सेवा में,  
प्राचार्य/निदेशक/सचिव  
मार्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलाजी,  
ढालवाला, ऋषिकेश।  
महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 03.09.2017 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा मार्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टैक्नोलाजी, ढालवाला, ऋषिकेश को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट एवं एम0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि- शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मिकों के फार्म-16 तीन माह के अर्न्तगत विश्वविद्यालय में जमा करने होंगे। अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:-

1. एन0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
3. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
5. कुलपति महोदय र्वं स्टेटयूटरी बाडी द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मिकों के फार्म-16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:-

1. एक माह के अर्न्तगत फैंकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैंकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिलिपि:- 1. उपकुलसचिव परीक्षा।  
2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।  
3. गार्ड फाइल।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)  
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

डा0(ए. के. मोहन्ती)  
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

5. उपरोक्त निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त करने वाले कोई भी अभ्यर्थी अग्रेतर अंकित किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश हेतु अपनी सुविधानुसार आवेदन कर सकता है, प्रवेश केवल प्राप्तांकों की वरीयता (मेरिट) के आधार पर होगा।
6. बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अथवा नहीं, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

महाविद्यालयों/निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क :-

- (क) अग्रेतर लिखित अंश "अ" में वर्णित राजकीय महाविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों से वही शुल्क लिया जायेगा जो कि पूर्व वर्षों में सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित है।
- (ख) अंश "ब" पर अंकित महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों से वही शुल्क लिया जायेगा जो कि शासन द्वारा स्ववित्त पोषित बी०एड० राजकीय महाविद्यालयों हेतु रुपये 28,400=00 एवं रुपये 1000=00 काशनमनी निर्धारित किया गया है।

(ग) अंश स पर अंकित निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों द्वारा वही शुल्क लिया जायेगा जो कि इस कार्यालय के पत्राक संख्या बी०एड० प्र०प०- 13/867 दिनांक 19/09/2013 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 988 दिनांक 10/05/2013 (एशोसियेशन ऑफ सेल्फफाइनेन्स बी०एड० इन्स्टीट्यूट बनाम हे०न०ब०गढ़वाल विश्वविद्यालय) में पारित आदेशों के अनुपालन में रुपये 42,000=00 (बयालिस हजार रुपये) राज्य कोटे की सीटों हेतु एवं रुपये 55,000=00 (पच्चपन हजार रुपये) प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए निजी स्ववित्त पोषित बी०एड० संस्थानों हेतु निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार शुल्क देय होगा जो कि सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान अथवा विश्वविद्यालय कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट द्वारा संचित किया जायेगा।

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. परीक्षा शुल्क रुपये- | 1500=00 (एक हजार पाँच सौ रुपये) |
| 2. पंजीकरण शुल्क रुपये- | 500=00 (पाँच सौ रुपये)          |
| 3. उपाधि शुल्क रुपये-   | 100=00 (एक सौ रुपये)            |
| 4. नामांकन शुल्क रुपये- | 100=00 (एक सौ रुपये)            |

कुल धनराशि रुपये- 2200=00 (दो हजार दो सौ रुपये)

$\frac{1}{4}$ tkS Nk=k bl fo'ofokky; esa iwoZ ls gh ukeakidr gSa mUgsa ukekadu 'kqYd nsus dh vko';drk ugha gSA $\frac{1}{2}$

क्रम सं	अंश-(अ)	राजकीय महाविद्यालयों की सूची	सीटों की सं०
1.		राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर	60
2.		राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार	60
3.		डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, देहरादून	60
4.		के०एल०डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, रुड़की	70
5.		डी०डब्ल्यू०टी० कालेज, देहरादून (केवल महिलार्थ)	80

नोट निम्न अंश ब में वर्णित राजकीय महाविद्यालयों व अंश स में निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों द्वारा वर्ष 2014-15 की सम्बद्धता प्रदान की गयी है। उनके द्वारा बी०एड० प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तथा जिन महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2014-15 की सम्बद्धता प्राप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालयों द्वारा किये गये प्रवेशों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय व छात्र की होगी। विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

## अंश-(ब) बी0एड0 स्ववित्त पोषित राजकीय महाविद्यालयों की सूची

1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर	100
2.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल	100
3.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार	100
4.	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा, पौड़ी (गढ़वाल)	100
5.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर-देहरादून	100

## अंश-(स) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से सत्र 2014-15 के लिए सम्बद्धता विस्तारण हेतु आवेदित निजी स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों की सूची :

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	सीटों की सं०
1	दूनघाटी कालेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रेमनगर बाजार, डोईवाला-देहरादून	100
2	द्रोणाचार्य इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, कैनाल वाईपास वार्ड नम्बर-4 बाबूगढ़ विकासनगर, देहरादून	100
3	डा0 सुशीला तिवारी कालेज ऑफ एडवांस स्टडीज, एन0एच0-73, सिकन्दर, भगवानपुर, रुड़की।	100
4	द्रोणाज कालेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नीकल एजुकेशन, 49, सुभाष रोड, देहरादून।	100
5	दून इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 9 माइलस्टोन, ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे, श्यामपुर, ऋषिकेश।	100
6	उत्तरांचल कालेज ऑफ एजुकेशन, सेवलाखुर्द, सहारनपुर रोड देहरादून	100
7	डालफिन इन्स्टीट्यूट ऑफ वायोमेडिकल एण्ड नेचुरल सांसेज, माण्डावाला, नियर सुदोवाला, चकराता रोड देहरादून।	100
8	राठ महाविद्यालय, पैठाणी जिला- पौड़ी।	200
9	हिमालयन दून एकेडमी भगवानपुर, गागलहेड़ी रोड, सिकन्दरपुर रुड़की, हरिद्वार।	100
10	मालिनी बैली कालेज ऑफ एजुकेशन, शिवराजपुर, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल।	100
11	कुकरेजा इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, गणेश बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून	200
12	एस0जी0आर0आर0 पी0जी0 कालेज, पथरी बाग, देहरादून	100
13	रुड़की डिग्री कालेज धनौरी, रुड़की।	100
14	एस0पी0 मैमोरियल बी0एड0 कालेज, भक्तियाना, श्रीनगर गढ़वाल	200
15	शकुन्तला देवी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, ब्राहमणवाला चौक हरिद्वार सहारनपुर रोड देहरादून	100
16	सुशाना मैथोडिस्ट गर्ल्स बी0एड0 कालेज, सिविल लाइन, रुड़की।	100
17	कालेज ऑफ एजुकेशन रुड़की,, हरिद्वार रोड, शान्तरशाह, रुड़की	100
18	सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय, रोहालकी किशनपुर, जिला हरिद्वार	100
19	विशम्बर सहाय बी0एड0 इन्स्टीट्यूट, रुड़की जिला-हरिद्वार	100
20	बी0एस0एम0 बी0एड0 कालेज, रुड़की जिला-हरिद्वार	100
21	एम0एस0 गर्ग बी0एड0 कालेज, लक्सर, हरिद्वार	100
22	रयामीराम इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मलेथी, खैरासैण-सतपुली, पौड़ी (गढ़वाल)	100
23	ओम्कारानन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, मुनिकी रेती, ऋषिकेश।	100

आपको यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त अंश "ब" एवं "स" पर अंकित महाविद्यालयों/निजी स्वयंसेवक पोषित वी०एड० संस्थानों द्वारा प्रत्येक समूह एवं वर्ग में निम्न विवरणानुसार ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना है, इन्हीं आबंटित सीटों के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेन्टल) भी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार दिया जायेगा।

वर्ग- कुलसीट	सामान्य	एस०सी०	एस०टी०	ओ०बी०सी०
कला वर्ग-60	38	12	02	08
विज्ञान वर्ग-40	25	07	02	06


अंश "अ" पर अंकित राजकीय/सम्बद्ध 05 (पाँच) महाविद्यालयों हेतु समूहवार/श्रेणीवार सीटों का आबंटन महाविद्यालयों को पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



(प्रो० पी०एस० राणा)  
कुलसचिव

- प्रतिलिपि :-
- 1-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के सूचनार्थ प्रेषित।
  - 2-श्री संजीव श्रीवास्तव, सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  - 3-निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
  - 4-वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव के सूचनार्थ।
  - 5-विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा।
  - 6-संकायाध्यक्ष शिक्षा, एस०आर०टी० परिसर, वादशाहीथोल, नई टिहरी।
  - 7-उपकुलसचिव प्रशासन/परीक्षा/शैक्षणिक।
  - 8- प्रभारी मान्यता अनुभाग।
  - 9-प्रभारी, विश्वविद्यालय उप कार्यालय, एस०जी०आर०आर० भवन, विन्दालपुल, देहरादून।
  - 10-विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।



(प्रो० पी०एस० राणा)  
कुलसचिव